जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) जसीडीह, देवघर में दो वर्षीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (डी0एल0एड0) सत्र 2026–28 में नामांकन के लिए ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु दिशा–निर्देशः–

निदेशक, झारखण्ड शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद, राँची के आदेश ज्ञापांक 421 दिनांक 16.02.2026 के आलोक में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन0सी0टी0ई0) से मान्यता प्राप्त संथाल परगना प्रमंडल में अवस्थित निम्नांकित डायट संस्थान में दो वर्षीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (डी0एल0एड0) सत्र 2026–28 में नामांकन हेतु छात्र/छात्राओं से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया गया है।

क्र0	डायट संस्थान का नाम	सीटो की संख्या
1	जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान (डायट) जसीडीह देवघर (छात्र/छात्राओं के लिये)	50

2. **आयु सीमा** :– आवेदक की उम्र पहली जुलाई 2026 को न्यूनतम 18 वर्ष होना अनिवार्य है।

3. **आवेदन की प्रक्रिया** :– आवेदक क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका कार्यालय के अधिकृत बेबसाइड rddedumka.org के Homepage पर Apply online बटन पर Click कर **Notice Board** पर दिये गये दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए **दिनांक 27.06.2026** तक ऑनलाईन आवेदन पत्र भर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने के समय आवेदन के साथ आवेदक का फोटो वेबसाईड पर अपलोड करना अनिवार्य है।

ऑनलाईन आवेदन पत्र को भरने के लिए दिये गये दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन करें। ऑनलाईन आवेदन भरते समय आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दी गयी सूचनाओं से पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा **(Submit)** करे। आवेदक आवेदन **Submit** करने के पूर्व भरे हुए आवेदन को ठीक से देख लें, यदि कोई त्रुटि हो तो उसे सुधार कर ही आवेदन **Submit** करें। आवेदन **Submit** करने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में ऑनलाईन भरे हुए आवेदन के किसी भी प्रविष्टि में आपत्ति के माध्यम से सुधार का दावा कदापि मान्य नहीं होगा। ऑनलाईन आवेदन भरने के उपरान्त प्रिन्ट आउट निकाला जा सकता है।

आवेदक द्वारा ऑनलाईन प्रविष्टि की गई कोई भी सूचना अथवा प्रमाण पत्र नामांकन के समय या प्रशिक्षण के दौरान गलत/फर्जी पाये जाते हैं तो उनका नामांकन रद्द करते हुए उन्हें महाविद्यालय/संस्थान से निष्कासित कर दी जायेगी एवं उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

डायट संस्थान में नामांकन हेतु चयन का आधार विषयवार एवं कोटिवार मेधा क्रम होगा। नामांकन संबंधी सूचनाएँ वेबसाइड के Notice Board पर ही उपलब्ध होगी।

ऑनलाईन आवेदन भरने के पश्चात् उसका प्रिंट आउट क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका कार्यालय को नहीं भेजना है। इसे अपने पास सुरक्षित रखना है।

4. **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता** :– विभागीय पत्रांक 1382 दिनांक 20.05.2004 के क्रम में संशोधित विभागीय संकल्प संख्या 1386 दिनांक 03.08.2012 के द्वारा दो वर्षीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (डी0एल0एड0 कोर्स) में नामांकन हेतु न्यूनतम योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/परिषद् से उच्च माध्यमिक परीक्षा/इंटरमीडियट अथवा उसके समकक्ष किसी अन्य परीक्षा में कम–से–कम 50 (पचास) प्रतिशत अंकों के साथ एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग कोटि के लिए 45 (पैतालीस) प्रतिशत अंकों के साथ उतीर्ण होना अनिवार्य है इससे कम प्रतिशत अंक प्राप्त अभ्यर्थी, आवेदक के पात्र नहीं होगें।

5. **आवासीय** :– कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची के संकल्प संख्या 3198 दिनांक 18.04.2016 एवं विभागीय पत्रांक 1382 दिनांक 20.05.2004 के अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी/जिला दण्डाधिकारी से निर्गत झारखण्ड राज्य का आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6. **आरक्षण** :– विभागीय एवं कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्र संख्या–6191 दिनांक 09.11.2002 एवं पत्र संख्या 1072 दिनांक 17.02.2009 के आलोक में नियमानुसार आरक्षण कोटि के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। आरक्षण कोटि के उम्मीदवार को अनुमंडल पदाधिकारी/जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अनुमंडल पदाधिकारी/जिला दण्डाधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने की स्थिति में उम्मीदवार को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन पत्र समर्पित करने के बाद की तिथि से निर्गत जाति प्रमाण पत्र आरक्षण लाभ के लिए मान्य नहीं है। दूसरे राज्य से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर इस राज्य के आरक्षण कोटा में लाभ देय नहीं होगा।

   निदेशक, जे0सी0ई0आर0टी0, राँची के पत्रांक 17/वि. 1–11/2016/385 दिनांक 09.08.2019 के निदेशानुसार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षार्थियों के प्रवेश में आर्थिक पिछड़ा संवर्ग (EWS) के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। आरक्षण कोटि के उम्मीदवार सक्षम प्राधिकार से निर्गत आर्थिक पिछड़ा संवर्ग (EWS) प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने की स्थिति में उम्मीदवार को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

7. ऑनलाईन आवेदन भरते समय यदि किसी आवेदक का जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार से निर्गत नहीं हो पाता है और ऑनलाईन आवेदन के जाति एवं आवासीय कॉलम में आवेदक द्वारा NA भरे जाते हैं तो वैसे आवेदक का **सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र कॉन्सिलिंग के समय मूल रूप में** उपस्थापित करने पर स्वीकार कर लिया जायेगा।

8. **चयन** :– विभिन्न परीक्षाओं के प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थी के चयन हेतु मेधांक की गणना नीचे दी गई सारणी में अंकित मेधांक के अनुसार रहेगी।

क्र0	प्राप्तांक (अनारक्षित/आरक्षित कोटि)	परीक्षावार एवं प्राप्तांक प्रतिशतवार अनुमान्य मेधांक				
		मैट्रिक	उच्च माध्यमिक/(+2)	स्नातक		स्नातकोत्तर
				पास कोर्स/प्रतिष्ठा		
(i)	50% / 45% से अधिक एवं 60% से कम	5	5	5	10	5
(ii)	60% / से 65% तक	6	6	6	11	6
(iii)	65% से अधिक एवं 70% से तक	7	7	7	12	7
(iv)	70% से अधिक एवं 75% से तक	8	8	8	13	8
(v)	75% से अधिक एवं 80% से तक	9	9	9	14	9
(vi)	80% से अधिक	10	10	10	15	10

प्रवेश हेतु कुल मेधांक –	45
एन0सी0सी0 (बी0 सर्टिफिकेट) –	2 अंक
एन0सी0सी0 (सी0 सर्टिफिकेट) –	3 अंक
खेलकूद जिसमें राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो –	3 अंक
खेलकूद जिसमें देश का प्रतिनिधित्व किया हो –	5 अंक

कुल मिलाकर 45 + 5 = 50 अंक

विभागीय पत्र संख्या 1386 दिनांक 03.08.2012 के आलोक में शैक्षणिक योग्यता के अनुसार देय अंक के आधार पर कुल मेधांक का निर्धारण किया जायेगा । कुल मेधांक समान होने पर उच्चतर शैक्षणिक योग्यताधारियों को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी। कुल मेधांक एक समान हुए तो जिस उम्मीदवार की जन्म तिथि पूर्व की हो, उन्हें जन्म तिथि के आधार पर चयन में प्राथमिकता दी जायेगी ।

9. **सीटों का बंटवारा** :– विभागीय संकल्प संख्या 1386 दिनांक 03.08.2012 के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (डी0एल0एड0) में सीटों का बंटवारा एवं उसके विरूद्ध नामांकन निम्नवत् होगा –

क्र0	विषय	विषय समूह	प्रतिशत
1	भाषा	हिन्दी / संस्कृत / अरबी / फारसी / उर्दू	30 प्रतिशत
		अंग्रेजी	10 प्रतिशत
		जनजातीय / क्षेत्रीय भाषाएं	10 प्रतिशत
2	विज्ञान	भौतिकी एवं गणित	15 प्रतिशत
		रसायन एवं जीव विज्ञान	15 प्रतिशत
3	समाज अध्ययन	इतिहास / भूगोल / नागरिक शास्त्र / अर्थशास्त्र / वाणिज्य	20 प्रतिशत

उपर्युक्त विषय के विषय समूह में से किसी एक विषय समूह में आवेदन किया जाएगा। जिस विषय समूह के लिए आवेदन किया जा रहा है, उसमें आवेदक को इन्टरमीडिएट / +2 की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

10. **दिव्यांग उम्मीदवार** :– दिव्यांग आवेदकों को सरकार के प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के ज्ञापांक 2249 दिनांक 03.04.2018 के आलोक में 05 प्रतिशत आरक्षण अपने ही कोटि के अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। दिव्यांग कोटि में आरक्षण का दावा सक्षम प्राधिकार (मेडिकल बोर्ड) द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर ही मान्य होगा। अन्यथा उन्हें दिव्यांग कोटि में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

11. **आवेदन शुल्क** :– (I) सामान्य कोटि / पिछड़ा वर्ग कोटि / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कोटि के अभ्यर्थी 100 / –(एक सौ रूपये) तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 30 / –(तीस रूपये) आवेदन शुल्क Credit Card / Debit Card / Net Banking एवं चालान द्वारा **क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका** के पदनाम से संचालित चालू खाता संख्या 11281251644 में ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदन शुल्क पर देय बैंक कमीशन चार्ज का भी भुगतान अभ्यर्थियों को ही करना होगा।

12. आवेदकों द्वारा ऑनलाईन भरे गये विषयवार / कोटिवार आवेदन के अनुसार औपबंधिक मेधा क्रम से आवदेकों का कॉन्सिलिंग किया जायेगा। कॉन्सिलिंग का तिथि / स्थान एवं कॉन्सिलिंग हेतु विषयवार / कोटिवार सूची अलग से **वेबसाईड के Notice Board में अपलोड कर दी जायेगी।**

सूची के आवेदकों को सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ–साथ निबंधित डाक टिकट युक्त स्वपता लिफाफा के साथ कॉन्सिलिंग में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। कॉन्सिलिंग में किसी भी प्रमाण पत्र की मूल प्रति उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में आवेदक का दावा अस्वीकृत कर दिया जायेगा। इसके पश्चात गठित चयन समिति के निर्णयानुसार ही उपलब्ध सीट के आलोक

में विषयवार/कोटिवार चयनित अभ्यर्थी की सूची **वेबसाईड के Notice Board में अपलोड कर दी जायेगी** साथ ही चयनित आवेदकों को संबंधित प्राचार्य के द्वारा नामांकन हेतु बुलावा पत्र दिया जायेगा। चयनित आवेदक सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति/स्व0 अभिप्रमाणित छाया प्रति/आवेदक का दो पासपोर्ट साईज का फोटो के संबंधित डायट संस्थान में नामांकन के समय संबंधित प्राचार्य के समक्ष अनिवार्य रूप से उपस्थापित करेगें। **चयनित नहीं होने वाले उम्मीदवारों को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी जायेगी।**

नामांकन के समय किसी भी प्रमाण पत्र की मूल प्रति उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में आवेदक का दावा संबंधित प्राचार्य के द्वारा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

13. विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात् यदि विभाग द्वारा किसी प्रकार का आदेश/निदेश प्राप्त होता है तो उस स्थिति में नामांकन हेतु चयन की सारी प्रक्रिया उस आदेश से प्रभावित होगा। इसके लिए अधोहस्ताक्षरी को सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

06/6/26

(डॉ0 दुर्गा नन्द झा)
क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक
संथाल परगना प्रमंडल, दुमका।